



सत्यमेव जयते

## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-3455/UK/1/2025-RU-I

दिनांक: 30.04.2026

पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड,  
कार्यालय पुलिस महानिदेशक,  
12 - सुभाष रोड,  
देहरादून-248001, उत्तराखंड,  
ई-मेल: dgp-police-uk@nic.in

जिला मैजिस्ट्रेट,  
जिला-देहरादून,  
कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट,  
देहरादून-248001, उत्तराखंड  
ई-मेल: dm-deh-ua@nic.in

### पुलिस अधीक्षक

जिला-देहरादून,  
कलेक्ट्रेट कंपाउंड, देहरादून,  
देहरादून-248001, उत्तराखंड  
ई-मेल: ssp.ddn14@gmail.com /  
ssp-deh-ua@nic.in

विषय: उत्तराखंड के देहरादून ज़िले के सेलाकुई थाना क्षेत्र में दिनांक 9 दिसंबर 2025 को अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र श्री एंजेल चकमा पर गैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा किए गए जानलेवा हमले, पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में लापरवाही एवं हत्या के प्रयास की धाराएँ न जोड़ने के संबंध में श्री बीपुल चकमा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन, खसरा नंबर 619/85, शिवालय रोड, टंकी वाली गली, नई दिल्ली-110030 का दिनांक 20.12.2025 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 23.12.2025(प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री निरूपम चाकमा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 15.05.2026 को अपराह्न 12:00 बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(कुशल देव वर्मा/Kushal Dev Verma)  
उप सचिव/Deputy Secretary  
Telephone No. : 011-24601346  
Email ID : kdverma.edu@nic.in

प्रतिलिपि :-

श्री बीपुल चकमा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन,  
खसरा नंबर 619/85, शिवालय रोड, टंकी वाली गली, नई दिल्ली-110030  
ई-मेल: bipulch355@gmail.com



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-3455/UK/1/2025-RU-1

दिनांक: 23.12.2025


1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड,  
कार्यालय पुलिस महानिदेशक,  
12 - सुभाष रोड,  
देहरादून-248001, उत्तराखंड,  
ई-मेल: dgc.police.ua@anic.in
2. जिला मैजिस्ट्रेट,  
जिला-देहरादून,  
कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट,  
देहरादून-248001, उत्तराखंड  
ई-मेल: dm-deh-ua@nic.in
3. पुलिस अधीक्षक  
जिला-देहरादून,  
कलेक्ट्रेट कंपाउंड, देहरादून,  
देहरादून-248001, उत्तराखंड  
ई-मेल: ssp.ddn14@gmail.com /  
ssp-deh-ua@nic.in

विषय: उत्तराखंड के देहरादून जिले के सेलाकुई थाना क्षेत्र में दिनांक 9 दिसंबर 2025 को अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र श्री अंजेल चकमा पर गैर-जनजातीय व्यक्तियों द्वारा किए गए जानलेवा हमले, पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में लापरवाही एवं हत्या के प्रयास की धाराएँ न जोड़ने के संबंध में श्री बीपुल चकमा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन, खसरा नंबर 619/85, शिवालय रोड, टंकी वाली गली, नई दिल्ली-110030 का दिनांक 20.12.2025 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री बीपुल चकमा से दिनांक 20.12.2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

  
23.12.2025

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)  
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer  
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in  
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री बीपुल चकमा,  
वरिष्ठ उपाध्यक्ष,  
ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट यूनियन,  
खसरा नंबर 619/85, शिवालय रोड, टंकी वाली गली, नई  
दिल्ली-110030  
ई-मेल: bipulch355@gmail.com

श्री अंजेल चकमा,  
निवासी-देब्रामठाकुर पारा, पश्चिम नोबाडी,  
पोस्ट-खेपरपुर, जिला-वेस्ट त्रिपुरा,  
त्रिपुरा-799008